कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2244/ FP/UK/WATER/41746/2019 देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।**(Online proposal no- FP/UK/WATER/41746/2019)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा, नई टिहरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.908**है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 27/2/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/WATER/41746/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नई टिहरी।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।(Online proposal no- FP/UK/WATER/41746/2019)

जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० वन भूमि का पेयजल निगम, देहरादून को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **0.3698** हे० आरक्षित वन भूमि एवं हेव **0.5382** सिविल सोयम वन भूमि अर्थात कुल **0.908** हे० का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–टिहरी गढ़वाल/प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी०जे०के० शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

तिथि : 27/02/2020
स्थान : देहरादून